

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०/86/2021-22 17.5.2026

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 02.07.26

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों तथा DAJGUA के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के कम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में Allocation of Central Fund (केन्द्रांश) एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो० 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रु० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों सहित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के कम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में Allocation of Central Fund (केन्द्रांश) एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो० 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रु० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक सं०-j-01013/81/2024-Fy दिनांक 22.04.2026 द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अस्थायी अवधि विस्तार दिनांक 30.09.2026 तक किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य पालन विभाग, केन्द्र सरकार के पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 14.05.2026 द्वारा इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (DAJGUA सहित) में स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश के रूप में कुल मो० 1500.00 लाख (पंद्रह करोड़) रु० मात्र का Allocation of Central fund as Mother Sanction निम्न प्रकार विमुक्त किया गया है -

क्रम	लाभुकों की कोटि	भारत सरकार द्वारा Mother Sanction के रूप में विमुक्त राशि (लाख रु० में)
1	General	850.00
2	SCSP	200.00
3	TSP	450.00
कुल:		1500.00

(ग) भारत सरकार के उल्लिखित Mother Sanction संबंधी पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 14.05.2026 की कंडिका '3' में अंकित है कि कुल विमुक्त राशि मो० 1500.00 लाख

रु0 में से मो0 108.66 लाख रु0 मात्र DAJGUA हेतु एवं अवशेष राशि मो0 1391.34 लाख रु0 मात्र PMMSY अंतर्गत अनुमोदित Beneficiary/Non-Beneficiary Oriented Activities के लिए कर्णांकित है।

(घ) उक्त वर्णित स्थिति में केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों (स्वीकृत्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021, स्वीकृत्यादेश सं0-18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021, स्वीकृत्यादेश सं0-40 रा0 (वि0) दिनांक-17.02.2022, स्वीकृत्यादेश सं0 22 रा0 (वि0) दिनांक-07.11.2022, स्वीकृत्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक-23.03.2023, स्वीकृत्यादेश सं0-29 रा0 (वि0) दिनांक-01.12.2023, स्वीकृत्यादेश सं0-34 रा0 (वि0) दिनांक-16.01.2024, स्वीकृत्यादेश सं0-39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, स्वीकृत्यादेश सं0-45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-274 दिनांक 17.03.2025, स्वीकृत्यादेश सं0-04 रा0 (वि0) दिनांक-10.06.2025 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-696 दिनांक 03.07.2025, स्वीकृत्यादेश सं0-30 रा0 (वि0) दिनांक-14.11.2025 तथा स्वीकृत्यादेश सं0-44 रा0 (वि0) दिनांक-16.02.2026 के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो0 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. (क) इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में कुल मो0 7910.00 लाख रु0 मात्र का योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध प्राप्त है।

(ख) विषयक केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार के **Mother Sanction** द्वारा विमुक्त पूर्व वित्तीय वर्ष की स्वीकृत परियोजनाओं (DAJGUA सहित) के केन्द्रांश की अगली किस्त तथा समानुपातिक स्वीकृत राज्यांश का व्यय STATE SCHEME - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJNA (1848) एवं CENTER SCHEME - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJNA (3890) के तहत निम्न लघु शीर्षों में किया जायेगा -

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रु0 में)

क्र0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	192000000.00	74000000.00	118000000.00
	कुल केन्द्रांश	192000000.00	74000000.00	118000000.00
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	128000000.00	49333330.00	78666670.00
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	29300000.00	0.0	29300000.00
	कुल राज्यांश	157300000.00	49333330.00	107966670.00
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	66000000.00	20000000.00	46000000.00
	कुल केन्द्रांश	66000000.00	20000000.00	46000000.00
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	44000000.00	13333330.00	30666670.00
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	16700000.00	0.00	16700000.00
	कुल राज्यांश	60700000.00	13333330.00	47366670.00

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	177000000.00	56000000.00	121000000.00
	कुल केन्द्रांश	177000000.00	56000000.00	121000000.00
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	118000000.00	37333340.00	80666660.00
9	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	20000000.00	0.0	20000000.00
	कुल राज्यांश	138000000.00	37333340.00	100666660.00
	सकल केन्द्रांश:	435000000.00	150000000.00	285000000.00
	सकल राज्यांश	356000000.00	100000000.00	256000000.00
	कुल योग (2405) :	791000000.00	250000000.00	541000000.00

मो0 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रू0 मात्र।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार से की जायेगी।
5. इस योजना के तहत स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA - SPARSH Module पर क्रियान्वयन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में SNA - SPARSH Module पर इस संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ भारत सरकार के पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 14.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये Mother Sanction में अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इसके अतिरिक्त प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निर्देशों एवं SLAMC द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
8. इस योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा विगत वित्तीय वर्षों में निर्गत संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेशों/शुद्धि पत्रों में निरूपित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति तथा स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। योजना अंतर्गत DAJGUA के तहत स्वीकृत योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जायेगा।
10. इस योजना का क्रियान्वयन Blockchain Technology के माध्यम से सुचारु रूप से किया जायेगा।
11. इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय विगत वित्तीय वर्षों में निर्गत संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेशों/शुद्धि पत्रों के साथ संलग्न परिशिष्टों द्वारा स्वीकृत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

12. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जायेगा।
13. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए निर्गत किया जाएगा।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों, Mother Sanction में निहित सभी शर्तों के साथ-साथ योजना कियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सरकार के अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
15. वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-2315 दिनांक-04.10.2024 द्वारा अधिसूचित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
16. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/17.11.21 राँची, दिनांक 02.07.26

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/17.11.21 राँची, दिनांक 02.07.26

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची / संयुक्त मत्स्य निदेशक, झारखण्ड, राँची / उप मत्स्य निदेशक (सभी) / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची / जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) / सभी सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) / सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/17.11.21 राँची, दिनांक 02.07.26

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची / आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त / माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव